IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय संस्कृति में कौटिल्य का सुशासनः एक विष्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.गब्बर अहिरवार
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रषासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विष्वविद्यालय सागर, मध्यप्रदेष

डॉ. नेहा निरंजन, सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रषासन विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विष्वविद्यालय सागर, मध्यप्रदेष

सारांश– विष्णु पुराण, भागवत पुराणों एवं कथासरित्सागर जैसे संस्कृत ग्रंथों में कौटिल्य को चाणक्य के नाम से संबोधित करने का उल्लेख मिलता है। चाणक्य की मुख्य कृति ''अर्थषास्त्र'' संस्कृत भाषा में राजनीति षास्त्र का अदभुत ग्रंथ है। कौटिल्य के संस्कृत भाषा में अर्थषास्त्र के अलावा औषधालय पर 'वैधजीवन' नाम की कृति उपलब्ध है। पाष्चात्य राजनैतिक दार्षनिकों से अलग कौटिल्य ने राज्य के तत्वों को सात सिद्धांतों में वर्णित किया है, अपने ग्रंथ अर्थषास्त्र में बताया है कि यें सातों अंग मानव षरीर के अंगो के समान एक दूसरे से संबंधित है जो **''स्वाम्यमात्रूजनपददुर्गकोषदण्डमित्राणि प्रकृतयः''**।।

स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष दण्ड और मित्र इन अंगो को राज्य की सुरक्षा के लिए आवष्यक बताया है। राज्य के ऊपर जनता के सर्वागींण विकास का सम्पूर्ण कार्यभार सौपा है, जिसमें वहाँ की जनता के लिए तालाब, बांध एवं सडकों के निर्माण के साथ–साथ अन्य आवष्यक साधनों को उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य को सौपा था, और राज्य का यही दायित्व वर्तमान समय में भारत में एक कल्याणकारी राज्य के एक आर्दष के रुप में प्रतीत होता है। कौटिल्य का राज्य दर्षन, सर्वव्यापक एवं जनहितकारी राज्य है, जिसका उद्देष्य समाज व राज्य में जनकल्याण के साथ–साथ अच्छे प्रषासन (सुषासन) की स्थापना करना है।

कुंजी शब्द– शासन व्यवस्था, विधि का शासन, सुशासन, उत्तरदायित्वों का निर्धारण, लोककल्याणकारी राज्य।

प्रस्तावना– भारतीय संस्कृति बहुआयामी है जो आगे जाकर वैदिक काल में विकसित हुई। जो मुख्यताः कर्म की प्रधानता पर आधारित रहीं है। मौर्य काल में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित रुप से संचालित होती थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य कौटिल्य की प्रमुख कृति ''अर्थशास्त्र'' लोक प्रशासन के क्षेत्र की प्रमुख रचना है। अर्थशास्त्र को पंद्रह भागों में बांटा गया है जिसमें से प्रथम, द्वितीय, पंचम और षष्टम् में लोक प्रशासन की संरचना के पहलुओं की विवेचना की गई है। ग्रंथ के द्वितीय भाग का शीर्षक 'सरकारी अधीक्षकों के कर्तव्य' है जिसमें सरकार के समस्त विभागों के बारे में वर्णन किया गया है।[1] अर्थशास्त्र में सरकारी कार्मिकों की समस्याओं को वर्णित करने के साथ ही एक प्रभावशाली सरकारी कार्यप्रणाली के बारे में उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार–

''प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रिय हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियम् हितम्।।''[2]

अर्थात जनता की खुषहाली में ही राजा की खुषहाली है, राजा को वो कार्य नही करना चाहिए जिसमें उसे स्वंय को प्रसन्नता मिले बल्कि उसे वे कार्य करना चाहिए जिसमें राज्य की जनता को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। कौटिल्य के अनुसार राज्य में षासन व्यवस्था का संचालन नियामिकीय रुप से होता था जनता की मौलिक आवष्यकताओं की पूर्ति राज्य द्वारा की जाती थी। कौटिल्य ने प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की हैं जिसमें बताया है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार प्रशासन को अंदर ही अंदर से खोखला बनाता जाता है जिस कारण प्रशासन के जो नैतिक मूल्य है उनका ह्रास होता है, कौटिल्य पूर्णता नीतिशास्त्र का समर्थन करते थे तथा वह राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को एक बीमारी मानते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का पता लगाना उतना ही कठिन कार्य है, जितना कि इसका अनुमान करना कि तालाब में रहने वाली किस मछली ने पानी पिया है और किसने नहीं पिया, इसके साथ ही भ्रष्टाचार, जीभ पर रखे उस शहद के समतुल्य है जिसको चाहते या ना चाहते हुए भी हर कोई उसका स्वाद ले लेता है।[3] अतः इसका निराकरण राज्य में सशक्त कानून व्यवस्था निर्मित करके ही किया जा सकता है।

अर्थशास्त्र में धर्म की संप्रभुता को महत्व दिया गया है, जिसमें शासक की संप्रभुता शक्ति का वर्णन धर्म के रुप में किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म किसी विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि इसका प्रयोग कर्तव्यों के पालन करने के रुप में किया गया है। कौटिल्य ने विधि के शासन को सर्वोपरि बताया है जिसमें राज्य के सभी व्यक्ति समान है किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा, कौटिल्य ने कहा था कि '' दण्ड़ो ही केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति, राज्ञा पुत्र च शर्त्रो च यथा दोष''।[4] अर्थात अपराधी को दण्ड समान रुप से मिलना चाहिए चाहे वह पुत्र हो या शत्रु समान। न्याय ही लोक–परलोक की सुरक्षा करता है।

कौटिल्य का मानना था कि, ''राजा केवल राज्य का सेवक है उसकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है।'' कौटिल्य का यह कथन वर्तमान समय में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है क्योंकि विश्व के अधिकतर विकासशील देशों में राज्य के सेवक आम जनता के समक्ष स्वयं को स्वामी समझ कर कार्य करते हैं। एक मुहावरे के रुप में कहावत प्रचलित है यथा राजा तथा प्रजा।[5] अर्थात राज्य का शासक जैसा होगा वैसी ही उस राज्य की प्रजा होगी अगर राजा गुणवान, ईमानदार और कर्मठ है तो जनता में भी यही सब गुण मौजूद होंगे। इसलिए आवश्यक है कि राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों का नैतिक आचरण सर्वोत्कृष्ठ होना चाहिए जिससे वह समाज में एक आर्दश के रुप में परिलक्षित हो सके। अगर राज्य के कर्मचारी ईमानदार और सुचरित्रवान नहीं होंगे तो उस राज्य की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित रुप से संचालित नहीं हो सकेगी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य में अच्छे शासन को स्थापित करने हेतु निर्देशित किया है इस हेतु राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए मुख्य सूचक बताये है जो इस प्रकार है–[6]

1. **राजा को अपना व्यक्तिगत कर्तव्य राज्य हित में समाहित करना–** के. पी. जायसवाल ने कौटिल्य के राजा को संवैधानिक दास के नाम से संबोधित किया है। सुशासन हेतु यह आवश्यक है कि राजा को अपनी स्वयं की निजी इच्छाएं राज्य के कर्तव्यों की पूर्ति में शामिल कर देना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजा को कर्तव्यों के प्रति प्रतिबंद्ध किया गया है जिससे वह कार्यों के प्रति निरंकुश ना हो सके। शासन के कार्यों में राजा के मार्गदर्शन के लिए सप्तांग (सात अंगों) की स्थापना की थी जिनकी सलाह से राजा शासन के कार्यों का संचालन करता था।
2. **दिशा–निर्देशित प्रशासन**– राज्य में लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि लोक सेवा में शामिल होने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनका मार्ग दर्शन करना है, क्योंकि लोक सेवा प्राचीन औपनिवेशिक विरासत की देन हैं जिससे इसकी जनता के प्रति उत्तरदायी

एवं संवेदनशील प्रकृति की भावना निहित नहीं है। अतः लोक सेवकों को सेवा में प्रवेश के पश्चात् समयानुसार होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल उनको अपने दायित्वों को निभाने में सक्षम करना होगा, इसलिये समय–समय पर उनको मार्गदर्शन मिलता रहना चाहिए।

3. **लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध–** राज्य में सुशासन बनाये रखने हेतु राजा को किसी अन्य इकाइयों के दबाव में ना आते हुए अपने राज्य के लोगों के हितों को पूरा के लिए कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। राज्य की जनता के कल्याण के लिए राजा का कर्तव्य है कि राज्य में लोगों के लिए कृषि कार्य करने हेतु पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसके साथ ही व्यापार, उद्योग की स्थापना करना और पशुओं को पालने की अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जिससे राज्य के संपूर्ण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
4. **राजा एवं मंत्रियों के लिए अनुशासन आवश्यक है–** कौटिल्य ने राज्य में राजा के लिए कुछ आचरण और नियमों का निर्धारण किया था जिसकी सीमाओं में रहकर ही राजा को कार्य करने होते थे, ये सभी नियम राज्य के समस्त मंत्रियों और कर्मचारियों पर लागू होते थे और इन नियमों का पालन राज्य के सभी के लोगों के द्वारा किया जाता था ताकि राज्य में अनुशासन बना रहे।
5. **निश्चित वेतन**– कौटिल्य के मतानुसार राज्य में सभी जन सेवकों के वेतनमान पूर्व से ही निश्चित होना चाहिए, कौटिल्य ने राज्य के शासक को भी निश्चित वेतन का प्रावधान किया था जिसमें राजा को वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुविधाएं राज्य द्वारा नहीं दी जाएगी, जो राजा के परिवार में अन्य सदस्य थे उनको भी एक निश्चित मात्रा में भत्ता प्रदान किया जाता था एवं परिवार को प्रदत्त किये जाने वाले भत्ते में किसी भी प्रकार की वृद्धि बिना मंत्री परिषद की स्वीकृति के नहीं की जा सकती है।
6. **राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने का दायित्व–** राज्य पर होने वाले बाहरी आक्रमण से जनता की सुरक्षा करना, लोगों की अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखना और नियम कानूनों का व्यवस्थित रुप से क्रियान्वयन राजा का प्रमुख उत्तरदायित्व है। क्योंकि राजा को वेतन राज्य जनता की सेवा करने के बदले में ही दिया जाता है ना कि अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए, यदि राजा समाज व देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करता है और कार्य करने में अनियमितता बरतता है तो राज्य और जनता को राजा की इस अनियमितता से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई राजा को अपनी निजी पूंजी में से करनी पड़ती थी।
7. **लेखांकन व्यवस्था–** राज्य में होने वाले कार्यों का लेखा–जोखा रखने को आवश्यक बताया है जिससे की शासक द्वारा किए गए समस्त कार्यों की जानकारी उपलब्ध रहे। इस कार्य हेतु कौटिल्य ने लेखपाल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका चयन अत्याधिक सावधानी से किया जाता था जिस व्यक्ति को शाही आदेश, परिपत्र और रिट को लिखने व समझने की क्षमता हो उसको लेखपाल का कार्य सौपा जाता था, जिससे भविष्य में शासक के द्वारा लिए गए निर्णय की जाँच कभी भी उन लेखों की सहायता से की जा सकती थी।
8. **दंड का प्रावधान**– कौटिल्य के अनुसार राज्य में अच्छी शासन व्यवस्था के लिए भ्रष्ट शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी जो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते है, अपने पद का दुरुपयोग करते है उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक सजा का प्रावधान करना साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों का समय–समय पर परीक्षण करना।

9. **समयानुरुप विश्वास पात्र मंत्रियों की नियुक्ति**– राजा को समयानुसार राज्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए मंत्रिमंडल में नवीन मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए जो ईमानदार हो और समयानुसार उत्पन्न समस्याओं के बारे में वृहद अनुभव रखते हो और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है इसकी क्षमता रखते हो, राजा को समय–समय पर ऊर्जावान, कर्तव्यनिष्ठ एवं युवा मंत्रियों को नियुक्त करते रहना चाहिए।
10. **प्रशासनिक निपुणता–** कौटिल्य के अनुसार राज्य में सफल प्रशासनिक संचालन व्यवस्था हो इस हेतु व्यवहारिकता में एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात प्रशासनिक कार्यप्रणाली का संचालन ठीक तरीके और समान रुप से चले ना कि किसी विशेष वर्ग को अलग से विशेष महत्व दिया जाये, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्य करने में योग्य व सक्षम हो, उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करने की उच्च क्षमता रखते हो, समस्त कर्मचारी बुद्धि संपन्न हो एवं अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति कर्मठ हो एवं उनका अच्छा नैतिक आचरण हो।

राज्य को वहाँ की जनता के लिए तालाब, बांध एवं सडकों के निर्माण के साथ–साथ अन्य आवष्यक साधनों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौपा था और राज्य का यही दायित्व वर्तमान समय में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में एक आर्दष के रुप में प्रतीत होता है। कौटिल्य का राज्य दर्षन सर्वव्यापक एवं जनहित कारी राज्य है, जिसका उद्देष्य समाज व राज्य में जनकल्याण के साथ–साथ अच्छे प्रषासन (सुषासन) की स्थापना करना है। कौटिल्य के राज्य की यही सुव्यवस्थित षासन व्यवस्था वर्तमान में सुषासन के रुप में सामने आयी जो भारत जैसे विकासशील देशों की षासन व्यवस्था की प्रमुख आवष्यकता है।

निष्कर्ष :

हम कह सकते है कि भारतीय संस्कृति ने प्राचीन समय से ही राज्य में अच्छी शासन व्यवस्था संचालित हो उसके लिए नियमों और कर्तव्यों का निर्धारण कर दिया था। जिसके साक्ष्य हमे शासन कला के रचियता कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देते है, अगर वर्तमान परिपेक्ष्य में विकासशील देशों में शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करना है तो शासक को जनता के सेवक के रुप में भूमिका निभानी होगी और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना नैतिक आचरण उच्च बनाये रखना होगा, कार्य की जबावदेही लेनी होगी, तभी राज्य में सुशासन को कायम किया जा सकता है।

संदर्भ–

1. प्रसाद, रविन्द्र एवं प्रसाद, वी. एस, (2010), प्रशासनिक चिंतक, जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 25–26
2. कौटिल्य अर्थशास्त्र के राजधर्म संबंधी नीतिवचन, (20 दिसंबर 2014), Retrieved from https://thethaluaclub.wordpress.com/category/chanakya-niti/ Accessed on July 14, 2022
3. कौटिल्य के प्रमुख विचार – सप्तांग सिद्धांत /मंडल सिद्धांत, (01 अगस्त 2020), Retrieved from https://www.mppscexams.com/2020/08/kautilya-mandal-siddhant.html Accessed on July 14, 2022
4. गुप्ता, पंकज, (4 मार्च 2022), कौटिल्य के चिंतन में विवक्षित सुशासन की संकल्पला, Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601953 Accessed on July 14, 2022

5. सुशासन बनाम भ्रष्टाचार – प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण – विशेषतः कौटिल्य अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में, (21 दिसंबर 2006), Retrieved from https://www.khabarexpress.com/Sushasaan-Vs-Bhastachar-article_73.htm Accessed on July 14, 2022
6. माहेश्वरी, आर. और अवस्थी, (2016), भारतीय प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ 04.